कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक 121/दो–12–11/2014 बैतूल दिनांक 06/06/2021

जिला दण्डाधिकारी बैतूल द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण क्रमांक 0065/144/2020/5339 में दिनांक 04.06.2021 को आंशिक छूट के साथ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने से तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र.ए/113 जबलपुर दिनाँक 15.01.2021 एवं परिपत्र क्रमांक ए/1149 जबलपुर दिनांक 03.04.2021 के पालन में तथा जिला बैतूल में कोविड–19 की विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुये जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित सभी न्यायालयों में तथा परिवार न्यायालय बैतूल मे तथा तहसील मुलताई, भैंसदेही, आमला स्थित सभी न्यायालयों में दिनांक 07.06.2021 से आगामी आदेश तक के लिये निम्न विविध आदेश पारित किया जाता है :–

1. जिला मुख्यालय बैतूल में स्थित सभी न्यायालयों में तथा परिवार न्यायालय बैतूल तथा तहसील मुलताई, भैंसदेही और आमला स्थित सभी न्यायालयों में **दिनाँक 07.06.2021 से केवल निम्न प्रकार के प्रकरणों के लिये वर्चुवल हियेरिंग केवल व्ही.सी.** के माध्यम से निर्देशित की जाती है :–

    1. रिमाण्ड, जमानत आवेदन एवं सुपुर्दगीमाना आवेदन।
    2. आपराधिक एवं व्यवहार अपीलें तथा आपराधिक निगरानी।
    3. वे आपराधिक प्रकरण, जिनमे आरोपी/आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में है।
    4. पांच वर्ष से अधिक लंबी अवधि के समस्त प्रकरण (व्यवहार एवं आपराधिक दोनो)।
    5. मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस।
    6. मोटरयान दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में जमा प्रतिकर राशि प्राप्ति के आवेदन पत्र।
    7. धारा 125 से 128 द.प्र.सं. के प्रकरण।
    8. किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरण।
    9. एडाप्शन प्रकरण।
    10. ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा/समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
    11. ऐसे सभी प्रकरण जिनमे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा सीमित समयावधि में निराकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये है।
    12. एक्सट्रीम अर्जेंट प्रकृति के व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरण, जिनमें न्यायालय द्वारा तत्कालिकता पायी जाती है।

2. प्रत्येक न्यायालय में प्रतिदिन प्रकरणों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी।

3. व्यवहार प्रकरणों में साक्ष्य अंकन की प्रकिया इस प्रकार रहेगी कि मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया जावेगा और प्रति परीक्षण व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान अनुसार कमीशन पर करवाया जावेगा। एप्रोपियेट केस/केसेस में न्यायालय के समक्ष भी प्रतिपरीक्षण संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दिये जाने पर किया जा सकेगा।

06-06-2021 15:44

4. सभी न्यायालयो के पीठासीन अधिकारी सुनवाई के लिये प्रकरणो की दैनिक काज लिस्ट एक दिन पूर्व तैयार करेगे और उसकी एक प्रति संबधित न्यायालय के सूचना–पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित की जावेगी। काज लिस्ट मे प्री–लंच सेशन मे तथा पोस्ट–लंच सेशन मे सुनवाई मे लिये जाने वाले प्रकरणो का उल्लेख किया जावेगा और तदानुसार ही सुनवाई का हर संभव प्रयास किया जावेगा।

5. अभिभाषको, पक्षकारो एवं साक्षियो की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण की आदेश–पत्रिका पर लिखी जावेगी, कोरोना वाईरस के प्रसार को रोकने की दृष्टि से प्रकरण की पत्रावली पर अभिभाषको, साक्षियो एवं पक्षकारो के हस्ताक्षर नही लिये जावेगे।

6. ऐसे न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण तथा कर्मचारीगण, जिनको क्वारेन्टाईन/आइसोलेटेड किया गया हो, उनका न्यायालय परिसर के भीतर प्रवेश वर्जित रहेगा।

7. कोई भी व्यक्ति शराब पिये हुये, पान, गुटखा या तम्बाकू खाये हुये न्यायालय परिसर मे प्रवेश नही करेगा। न्यायालय परिसर में थूकना प्रतिबंधित किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त गतिविधि करते पाया गया, तो वह विधि अनुसार एवं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार अभियोजन/दण्ड का दायी होगा।

8. सभी न्यायिक अधिकारीगण, सभी अभिभाषकगण, सभी पक्षकार एवं न्यायालयीन कर्मचारी, जो न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में आते है, फेस मास्क या फेस कवर नाक और मुँह को ढकती हुई स्थिति का पहनेंगे। प्रत्येक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय सुनिश्चित करेंगे कि सभी अभिभाषकगण फेस मास्क या फेस कवर जो नाक और मुँह को ढका रखे, लगाकर ही न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष मे प्रवेश करे।

9. कोई भी व्यक्ति, जिसे बुखार और फ्लू है या बुखार या फ्लू जैसे लक्षण है, न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी न्यायालयीन कर्मचारी को बुखार/फ्लू के लक्षण है, तो वह तुरंत अपने न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश बैतूल को सूचित करेंगे। यदि कोई अभिभाषक, बुखार/फ्लू से ग्रस्त है, तो तुरंत उसकी सूचना अभिभाषक संघ के साथ–साथ जिला न्यायाधीश बैतूल को दी जावेगी।

10. केवल उन्ही पक्षकारों और उनके अभिभाषकगण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके प्रकरण नोटिफाईड एवं लिस्टेड हैं। जिला मुख्यालय एवं तहसील स्थित न्यायालयों के प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग न्यायालय परिसर में इट्री पाईट पर यह देखने की व्यवस्था करेंगे कि केवल वही अभिभाषकगण और पक्षकारगण न्यायालय परिसर में आये, जिनके प्रकरण उस दिन न्यायालय में नियत हैं।

11. न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन, फोटोकापी की दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगी। प्रत्येक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक संघ के कक्ष में लिमिटेड एन्ट्री सुनिश्चित करेंगे।

12. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग बैतूल, मुलताई, भैसदेही एवं आमला को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर में सैनेटाईजेशन एवं हाथ धोने की व्यवस्था मुख्य प्रवेश द्वार पर, टायलेट्स में, न्यायालय कारिडोर्स में करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय/न्यायालय परिसर में बिना हाथ धोये और बिना सेनेटाईजर लगाये प्रवेश नही करे तथा न्यायालय एवं न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करायेंगे।

06-06-2021 15:44

13. न्यायालय मे एक समय मे केवल वे ही अभिभाषकगण और पक्षकारगण उपस्थित होंगे, जिनके प्रकरणो मे सुनवाई हेतु पुकार लगवाई गयी है। शेष अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण न्यायालय कक्ष के बाहर रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे।

14. अभिभाषकगण अपनी केस फाईल स्वयं धारित करेंगे एवं सुनवाई हो जाने पर अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण तुरंत न्यायालय कक्ष छोड़ देंगे।

15. समस्त न्यायिक अधिकारी, अभिभाषक, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार तथा साक्षी कोविड–19 के संबंध मे केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

जिला एवं [redacted]
बैतूल (म.[redacted]

संलग्न –
माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
जबलपुर का परिपत्र क्र.ए/113
जबलपुर दिनॉक 15.01.2021

पृष्ठा. क्रमांक 630/दो–12–11/2014 बैतूल दिनांक 06/06/2021

प्रतिलिपि–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर बैतूल, जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, बैतूल जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल।
5. श्री राकेश मोहन प्रधान, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट बैतूल।
6. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति. अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल/मुलताई/भैसदेही श्रीमती दीपका मालवीय/श्री अनुज त्यागी/श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी/श्री राजकुमार गुप्ता/श्री ए.के. दंदेलिया/श्री सुशील कुमार जोशी/श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी।
7. श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बैतूल।
8. श्री दीनानाथ वाड़िवा, जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल।
9. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला श्रीमती सुनीता ताराम/श्रीमती रंजीताराव सोलंकी/श्रीमती मंजूषा तेकाम/ श्री एन.एस. ताहेड/श्री विनोद अहिरवार।
10. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला। श्रीमती राधा उईके/श्रीमती कमला गौतम/श्रीमती प्रियंका कुशवाह/श्री अजय कुमार उईके/श्री दीपेन्द्र मालू/सुश्री पूर्वी तिवारी/श्री कौस्तुभ खेड़ा/सुश्री रीना पिपल्या।
11. प्रशिक्षु न्यायाधीश, बैतूल – श्री कृष्णा वोहरा/श्री अभिषेक साहू/श्री अंशुल चन्दा/श्री विशाल रिछारिया
12. श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय कैम्प बैतूल।
13. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, बैतूल।
14. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, बैतूल/ मुलताई/ आमला/भैसदेही।
15. प्रभारी अधिकारी, नजारत/ग्रंथालय/मालखाना/पंजीयन/तलवाना /कम्प्यूटर अभिलेखागार/प्रतिलिपि/सांख्यिकीय/लेखाअनुभाग, बैतूल/मुलताई/आमला/भैसदेही
16. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/आमला/भैसदेही।
17. अध्यक्ष, कोरोना संक्रमण सुरक्षा कमेटी, बैतूल

18. लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी बैतूल /मुलताई/भैंसदेही की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
20. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए. बैतूल की ओर उक्त विविध आदेश की प्रति संबंधितों के मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जाने हेतु।

6/6/21

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

06-06-2021 15:45